26.9.19 | पत्रावली पेश। वकील वादी एवं पेशकार साकार उपस्थित। वादी वकील को सुना गया। वकील वादी का कथन है, कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बकाया सहखातेदारों द्वारा इकबालिया जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं है। अतः जवाब काश्तकारी वं. । अपेक्षित नहीं।

वकील वादी को सुना जाकर प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेज से यह प्रकट होता है, कि वादी का नाम बिरधीचंद है, तथा रिकार्ड (राजस्व) में वादी का नाम बचपन वाला "पदू" अंकित कर दिया गया। वादी पदू के स्थान पर बिरधीचंद उर्फ पदू नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करवाना चाहता है। हम्ब नकल जमाबंदी ग्राम रावली ख० नं० 381 रकबा 1.13 हे० पर वादी का नाम परू अंकित है। वादी द्वारा वादपत्र में वांछित अनुतोष को प्रतिवादीगण 2 से 7 द्वारा स्वीकार किया गया है। यह सही है, कि प्रकरण में प्रति० नम्बर 1 को अनुतोष बाबत कोई विपरीत प्रभाव की गुंजाइश नहीं है अतः प्रथम प्रति० 1 बंद किया जाता है। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रभावित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत कर दिये जाने से प्रकरण में अन्य विवाद्यक विषयों का अवसान हो चुका है। अतः सहमति की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये, प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया। दावा वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है। दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम रावली की भूमि ख० नं० 381 रकबा 1.13 हे० पर वादी का नाम परू के	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थान पर बिरधीचंद उर्फ पपु दर्ज किया जावे। रिकार्ड में अमल हो। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.9.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया। 26/9/19 (चिमनलाल मीणा) उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकरी ब मुकद्दमे ~~इस्तदाई~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंज मण्डी

ब इजलास— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बिरधीचंद उर्फ पप्पू —बनाम— राज० सरकार

दावा बाबत— 88.89. R.T. Act. 1955

मुकद्दमा नं.— 103 —सन्— 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी— श्री जितेन्द्र नामा. एड. —मिनजानिब मुद्दई व— श्रीमती पायल छपिया एड.

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम रावली की भूमि ख.नं. 381 रकबा 1.3260 पर वादी का नाम पप्पू के स्थान पर बिरधीचंद उर्फ पप्पू दर्ज किया जावे। रिकार्ड में अमल दरामद हो।

चीज— x —मुबलिग— x —बाबत— x

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— x —फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक— x —को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 26 —माह— 09 —सन्— 2019

को जारी की गई।

दस्तखत— 26/9/19

ओहदा— उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर ..			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक ..					
मीजान..	—	—	मीजान..	—	—

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

26/9/19
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

रा.मु.जो.-40-2004-1,00,000 प्र.

Scanned by CamScanner